

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाष: 0755-2583650, फ़ैक्स: 2583651, ई-मेल: coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/समन्वय/बी/2018/144

भोपाल, दिनांक 19.7.18


प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य, शा0उ0मा0वि0, विकासखंड मुख्यालय
म0प्र0।

विषय:- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 09.07.2018 का कार्यवाही विवरण बाबत।


विषयान्तर्गत दिनांक 09.07.2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 19.7.18

पृष्ठा0क्रमांक/समन्वय/बी/2018/145
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।


संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 19.7.18

वीडियो कान्फ़ेसिंग दिनांक 09.07.2018 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 09.07.2018 को वल्लभ भवन भोपाल के वीडियो कान्फ़ेस हॉल क्रमांक 66 में सायं 04.00 बजे से आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ़ेसिंग का आयोजन किया गया। इसमें अपर परियोजना संचालक, संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उपसंचालक एवं सहायक संचालक लोक शिक्षण बैठक में उपस्थित रहे।

उपसंचालक समन्वय द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति ली गई जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

इन्कम टैक्स टीडीएस की प्रक्रिया की समीक्षा –

1. इन्कम टैक्स अधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए एवं इन्कम टैक्स रिटर्न हेतु वीडियो कान्फ़ेसिंग में आयोजन के संबंध में संचालनालय का धन्यवाद किया गया एवं वीडियो कान्फ़ेसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों को विस्तार से समझाया गया।
2. आयुक्त महोदय द्वारा जानकारी दी गई कि भोपाल संभाग के प्रत्येक जिले में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी एवं सभी डीडीओ को इस कार्यशाला में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अपने जिले के प्रत्येक डीडीओ को कार्यशाला हेतु बुलाएंगे। इस हेतु विशेष आयोजन करेंगे।
3. संचालक महोदया द्वारा सभी अधिकारियों की ओर से इन्कम टैक्स अधिकारियों को विशेष धन्यवाद दिया गया।

लेपटॉप वितरण की समीक्षा –

4. संचालक महोदय द्वारा लेपटॉप वितरण पर समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों से कहा गया कि लेपटॉप वितरण भोपाल में कराया जा चुका है इसकी प्रक्रिया को विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। अतः संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक इस कार्यक्रम को अच्छी तरह आयोजित कर सकते हैं। यह आयोजन 20 जुलाई को आयोजित है।
5. दोपहर 01.00 बजे जबलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लेपटॉप वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी तरह इसी तारीख को सभी संभागीय मुख्यालयों पर प्रभारी मंत्री जी एवं अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित करके कार्यक्रम आयोजित करना है। इसके निर्देश लिखित में जारी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। उनके संज्ञान में लाकर उन्हें तारीख से अवगत कराया जाना है। 20 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसका प्रस्तावित कार्यक्रम आपको भेजा जाएगा। 01.10 पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन प्रारंभ होगा। उसके पहले आपको उद्घाटन, वन्देमातरम् आदि कार्यक्रम करने होंगे। ये उद्बोधन जबलपुर जिले से पूरे मध्यप्रदेश में प्रसारित होगा। समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित

किया गया कि इस कार्यक्रम हेतु बच्चों को जिले से संभागीय मुख्यालयों पर लाना है । बच्चों को लाने की व्यवस्था सुचारु रूप से की जाना है। बारिश होने की स्थिति में बच्चों को एक दिन पहले ही संभागीय मुख्यालयों पर लाने की व्यवस्था करना है। ताकि अगले दिन होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्था ठीक से कर सकें। सभी बच्चों के एकाउण्ट वेरीफाई करने के निर्देश भी दिए गये।

6. संयुक्त संचालक विद्या द्वारा बताया गया कि जिले से आवंटन के संबंध में आवश्यकता बताई जा रही है, पिछले वर्ष की जो आवश्यकता है वो भी प्रोसेस में है, जारी कर दी जाएगी। संयुक्त संचालक विद्या द्वारा बताया गया कि भोपाल संभाग में 6285 बच्चे रहेंगे। ग्वालियर संभाग में 7345 बच्चे, होशंगाबाद संभाग में 2417 बच्चे, इन्दौर संभाग में 6265 बच्चे, जबलपुर में 6839 बच्चे, रीवा संभाग में 3460 बच्चे, शहडोल में 786 बच्चे, उज्जैन में 6286 बच्चे और सागर में 5424 बच्चे रहेंगे । संचालक महोदय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों से अनुरोध किया कि सभी बच्चों के ठहरने, खाने एवं आने जाने का इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। उन विद्यालयों का चयन करें जहाँ उनके आवास व्यवस्था अच्छी तरह हो सके। संवेदनशीलता के साथ बालक-बालिकाओं को अलग-अलग ठहराने की व्यवस्था, सुरक्षित रूप से लाने ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।
7. आयुक्त महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि लेपटॉप वितरण में केवल एमपी बोर्ड के विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे। जबलपुर के संभागीय संयुक्त संचालक से लेपटॉप वितरण की तैयारी हेतु पूछा गया तो बताया गया कि उनके द्वारा बताया गया कि पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि मुख्यालय पर कलेक्टर नोडल होंगे और कार्यक्रम को को-ऑर्डिनेट करेंगे। सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को कार्यक्रम को सुचारु रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए गये।

अतिथि शिक्षक की समीक्षा –

8. आयुक्त महोदय द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से अतिथि शिक्षक के संबंध में 7 जुलाई को निर्देश जारी किए गये है । इस पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा बताया गया कि निर्देश प्राप्त हो गये हैं । आयुक्त महोदय द्वारा पूछा गया कि किसी को इन निर्देशों के संबंध में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही ।
9. इन्दौर संभाग से सचिव स्कूल शिक्षा द्वारा बताया गया कि संयुक्त संचालक इन्दौर द्वारा एम शिक्षा मित्र के संबंध में एक बैठक बुलाई गई थी । इसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी उपस्थित थे ।
10. अतिथि शिक्षक के संबंध में प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बताया गया । इसमें वही आवेदक आवेदन कर सकता है जिसने नवम्बर 2017 में पोर्टल में अपना आवेदन दर्ज किया है। संकुल प्राचार्य से सत्यापित कराया है । वही आवेदक इस प्रक्रिया में भाग ले पाएगा। जानकारी में संशोधन 12 जुलाई तक करने हेतु अवसर दिए गये हैं। संशोधन केवल दर्ज जानकारी में ही होगा

कोई नई योग्यता नई जानकारी हेतु नहीं किया जा सकेगा। ये कार्य संकुल प्राचार्यों द्वारा किया जाना है। जिला स्तर पर सभी संकुल प्राचार्यों को निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे। संशोधन मूल अभिलेख देखकर ही करें। सभी आवेदकों को एनआईसी द्वारा संशोधन हेतु एसएमएस किये जा चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अपनी लॉग-इन आईडी से 01 जुलाई 2018 की स्थिति में अपडेट करें। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गये कि दिनांक 10.07.108 तक अपडेशन का कार्य पूरा कर लिया जावे। क्योंकि 13 जुलाई से काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। इसमें चयन प्रक्रिया प्राथमिक, माध्यमिक की अलग से एवं हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री के लिए अलग से होगी। प्राथमिक माध्यमिक के लिए जो आवेदक है तो वो रिक्तियों के आधार पर निर्धारित तिथि 14 से 21 जुलाई तक विद्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ पोर्टल जनरेटेड स्कोर कार्ड लगाना होगा अर्थात जो आवेदक पोर्टल में पंजीकृत है वही आवेदक अतिथि शिक्षक हेतु पात्र होगा। चयनित शिक्षक 26 जुलाई तक अपनी उपस्थिति देंगे। उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाना है। इन्हें स्वीकृत पद के विरुद्ध रखा जाना है। स्वीकृत पद से अधिक रखने पर अधिकारी अनियमितता के दोषी होंगे। ये विकल्प कियोस्क पर या कम्प्यूटर पर भर सकते हैं। आवेदक 20 विकल्प भर सकते हैं। 24 जुलाई तक संकुल प्राचार्य एन्ट्री करेंगे। हा.से./हाईस्कूल के शिक्षक 26 जुलाई तक विद्यालय पहुँच जाएंगे। अतिथि शिक्षक से एक घोषणा पत्र भरवाना है कि वो किसी आपराधिक प्रकरण में शामिल तो नहीं है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया कि वे अतिथि शिक्षक के पदों हेतु अपडेशन का कार्य सुनिश्चित कर लें।

11. इन्दौर संभाग के संयुक्त संचालक द्वारा बताया गया कि इन्दौर संभाग में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो स्थानान्तरित या रिटायर हो चुके हैं। झाबुआ के संबंध में बताया कि आदिवासी विभाग ये कार्य करेगा। यदि आदिवासी विभाग भी देखे तो भी जिला शिक्षा अधिकारी इसको को-ऑर्डिनेट कर इस कार्य को सुनिश्चित करा लें।
12. श्री सुमनकांत प्रोग्रामर द्वारा बताया गया कि लगभग 9100 शिक्षक हैं। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो पोर्टल पर वैकेंसी अपडेट करा देंगे।
13. आयुक्त महोदया द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय मुख्यमंत्रीजी की जन आशिर्वाद यात्रा 14 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है, इसके दौरान स्कूलों में भी भ्रमण किया जाएगा। अतः जो प्रक्रिया चल रही है वो निरन्तर चलती रहें। और उसे समय सीमा में पूरी कर दें।

पुस्तक वितरण की समीक्षा –

14. आयुक्त महोदया द्वारा पुस्तकों के वितरण के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सत्र प्रारंभ हुए कितना समय हो चुका है और अभी तक स्कूलों में पुस्तकें वितरित नहीं हुई हैं। ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री के जन आशिर्वाद यात्रा के समय यही स्थिति रही तो वो क्षम्य नहीं होगी। पुस्तक वितरण के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी

बुराहनपुर द्वारा बताया गया कि किताबों के जो बंडल आए थे उसमें पुस्तकें निर्धारित संख्या से कम पाई गई थी ।

15. संयुक्त संचालक विद्या द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किताबें प्राप्त करते समय वे किताबें गिनकर ही लें। क्योंकि आपने यदि पूरी किताबों की पावती दी है और बंडल में कम किताबें पाई जाएं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
16. आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि सरकार यदि ये दावा करती है कि हम पूरी पुस्तकें देते हैं और विद्यालयों में पूरी पुस्तकें वितरित नहीं होती तो इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं । इससे विभाग की छवि खराब होती है । पुस्तकों के संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक जिले की समीक्षा की गई ।
17. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे व्यक्तिगत रूप से जाकर इन कार्यों की मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें ताकि कोई भी छात्र पुस्तक से वंचित न रह पाये ।
18. आयुक्त महोदय ने स्पष्ट रूप से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा कि इस काम में बिल्कुल लापरवाही न बरतें। किताबों के संबंध में तत्काल कार्यवाही करें। इसके लिए आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें ताकि सभी बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जा सकें ।

साइकिल वितरण की समीक्षा –

19. आयुक्त महोदय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से पूछा गया कि पुरानी साइकिल ठीक कराने हेतु भेजी गई हैं । जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट से साइकिल के संबंध में पूछा गया कि क्या परेशानी आ रही है कि आपके द्वारा सीधे प्रमुख सचिव महोदय को पत्र लिखा गया है । आपके जिले में 300 बच्चे ऐसे हैं जिनके आगे ग्राम पंचायत लिख दिया गया है । इस पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि पत्र डीपीसी के द्वारा लिखा गया है । आयुक्त महोदय ने कहा कि प्रमुख सचिव महोदय के अनुमोदन उपरांत अनुमति जारी कर इसके लिए आपको एनओसी दे दी जाएगी ।
20. संचालक महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी जिले में बालाघाट जिले जैसी समस्या हो तो वे अपने जिले के बच्चों के नाम नामवार, छात्रवार आईडी के साथ भेजें ताकि आपको निर्देश जारी किए जा सकें। केवल 7 जिले आगरमालवा, भिण्ड, बुरहानपुर , दमोह, सागर, बडवानी नरसिंहपुर ऐसे हैं जिन्हें ऑफलाइन वितरित करने की स्वीकृति चाहिए क्योंकि बच्चे पात्र हैं किन्तु छूट गये हैं । अतः बच्चों की जानकारी आईडी के साथ योजना की मेल आईडी पर भेज दें । ताकि बच्चों को साइकिल वितरित की जा सके ।

समेकित छात्रवृत्ति:-

21. समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत मिशन वन-क्लिक में त्रुटिपूर्ण बैंक खातों के कारण असफल भुगतान वाले प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण बैंक खातों के संशोधन व सत्यापन किए जाने की जिलेवार समीक्षा करते हुए अवगत कराया कि असफल भुगतान वाले विद्यार्थियों के संशोधित/सत्यापित बैंक खातों में पुनः वर्ष 2017-18 की राशि बैंक द्वारा अंतरित की जा रही है। जिसकी रिपोर्ट शीघ्र ही पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।
22. समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 की छात्रवृत्ति लंबित रहने के प्रकरण सी.एम.हेल्पलाइन उद्भूत हुए हैं। लंबित छात्रवृत्ति की जानकारी हेतु वर्ष 2016-17 की स्वीकृति, वितरण एवं लंबित छात्रवृत्ति की जानकारी दिनांक 28 जून 2018 तक अनिवार्यतः गूगल ड्राइव पर प्रविष्टि किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अद्यतन केवल दतिया, अलीराजपुर, खण्डवा भोपाल रीवा, कटनी, नीमच, धार, मुरैना उज्जैन,टीकमगढ़ से प्राप्त हुई एवं दमोह,गुना, सागर, सीधी, विदिशा, रायसेन की जानकारी त्रुटिपूर्ण है। समस्त जिले समग्र शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध वर्ष 2016-17 की जानकारी से परीक्षण कर सही विवरण 04 दिवस में अनिवार्यतः प्रविष्टि करें।
23. डॉ.ए.पी.जे अब्दूल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की जानकारी गूगल ड्राइव पर प्रविष्टि किए जाने हेतु 28 जून 2018 तक समयसीमा दी गई परन्तु अभी भी जिला:-आगरमालवा, अनूपपुर, बुरहानपुर, छिंदवाडा, दमोह, झाबुआ, मुरैना, एवं सिंगरौली द्वारा प्रविष्टि नहीं की गई है एवं देवास, गुना, रतलाम, रायसेन द्वारा अपूर्ण जानकारी प्रविष्टि की गई है। जानकारी 04 दिवस में प्रविष्टि किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
24. संचालनालय द्वारा बार-बार छात्रवृत्ति से संबंधित एल-1 से एल-4 स्तर के सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक प्रकरण (wip, pc) के निराकरण का परीक्षण संभाग स्तर/जिलास्तर से करने एवं प्रकरण का स्पष्ट निराकरण सी.एम.हेल्पलाइन पोर्टल पर प्रविष्टि कराने एवं जिन प्रकरणों में निराकरण दर्ज नहीं है उन प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर पोर्टल पर निराकरण की प्रविष्टि दिनांक 05 जुलाई 2018 तक कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु अद्यतन भी छात्रवृत्ति से संबंधित एल-4 स्तर पर 840 प्रकरण लंबित रहने पर आयुक्त महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं प्रकरणों का निराकरण दिनांक 13. 07.18 तक किए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों एवं प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण किए जाने एवं प्रकरणों की मॉनिटरिंग समयावधि में किए जाने हेतु समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया।
25. कक्षा 12वीं सत्र 2017-18 का परीक्षा परीणाम घोषित हो चुका है। अतः वर्ष 2018-19 हेतु डॉ.ए.पी.जे अब्दूल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति की संकायवार जानकारी एवं पात्र विद्यार्थियों की सूची दिनांक 28 जून 2018 तक अनिवार्यतः संचालनालय को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु केवल सीधी,डिंडोरी, उज्जैन,गुना, रतलाम जिले द्वारा जानकारी प्रेषित की गई है जिला सीहोर एवं धार से स्वीकृति संख्या प्राप्त हुई है किन्तु सूची अप्राप्त है शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त है।जानकारी 04 दिवस में प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
26. पूर्व वर्षों में मेपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित होने विद्यार्थियों के प्रकरणों के एकजाई निराकरण हेतु मेपिंग/प्रोफाइल से वंचित विद्यार्थियों की (वर्ष 2013-17 से 2016-17) तक की जानकारी प्रपत्र-1 में गूगल ड्राइव पर

अंकित करने एवं छात्रवृत्ति पात्रता विषयक जानकारी प्रपत्र-2 में संचालनालय को दिनांक 28.06.18 तक अनिवार्यतः प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु केवल जिला बैतूल, डिंडोरी, ग्वालियर, कटनी, खरगौन, रतलाम, सागर, सिहोर, नरसिंहपुर, उज्जैन,रीवा, रायसेन धार, अशोकनगर, बडवानी,खण्डवा एवं सिवनी द्वारा प्रपत्र-1 की जानकारी गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट की गई है। प्रपत्र-2 की जानकारी जिला सागर से प्राप्त हुई है। शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त है। प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 की जानकारी दिनांक 13.07.18 तक अनिवार्यतः प्रविष्ट/प्रेषित किए जाने एवं जिन जिलों की जानकारी निरंक है उन्हे प्रपत्र मे 0 प्रविष्ट किए जाने हेतु निर्देशित किया।

27. वर्ष 2018-19 हेतु अद्यतन 85.82 लाख विद्यार्थियों के मेपिंग एवं 25000 विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन किया गया है दिनांक 13 जुलाई 2018 तक समस्त विद्यार्थियों की मेपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन किए जाने निर्देशित किया।

विद्यालय के भवन भूमि की समीक्षा -

28. अपर परियोजना संचालक महोदय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्माण कार्य की समीक्षा के संबंध में बताया । विशेष रूप से ऐसे निर्माण कार्य जिनमें अभी निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ है या भूमि का चयन नहीं हुआ है । इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है । निर्माण कार्य के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय के हस्ताक्षर से सभी कलेक्टर को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा गया है । जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी से कहा गया है कि यदि भूमि का चयन नहीं किया है तो अगले 2-3 दिन में भूमि का चयन सुनिश्चित कर लें । माननीय शिक्षा मंत्री इसकी समीक्षा करने वाले है। भूमि चयन के संबंध में भूमि चिन्हांकन के मामलों में गाइडलाइन का पालन किया जाये। एक जिला शिक्षा अधिकारी ने हाईटेनशन तार के नीचे भूमि चिन्हित करा ली थी । अब उसके लिए अलग से फण्ड की डिमाण्ड कर रहे हैं । इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

29. आपके ध्यान में एक बात स्पष्ट की जा रही है कि जब भूमि का चयन हो जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी कम हो जाती है । क्योंकि बनाने का काम पीडब्ल्यूडी का हो जाता है। भूमि के चयन का काम कलेक्टर के साथ बैठकर करना है।

30. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लें। इसमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा कहा गया है कि यदि जमीन की वजह से काम नहीं हुआ तो वो राशि निरस्त कर देंगे । वो किसी दूसरे जिले को भी राशि उपलब्ध करा देंगे। किन्तु यह स्थिति आपके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी।

31. दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु सी.एम. हेल्पलाइन का है। इसमें फोर्स क्लोज के अधिकार एल-3 को भी दिए गये हैं । जहाँ यदि प्रकरण का निराकरण हो गया है या शिकायत निराधार है तो एल 3 को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए । वीडियो कान्फ्रेंसिंग के बाद यदि किसी प्रकरण में देखा गया कि एल 3 ने कुछ नहीं किया और

सीधे एल 4 को भेज दिया गया और प्रकरण शासन से संबंधित नहीं है तो एल 4 तक मामला आना चाहिए । समस्त संयुक्त संचालकों को अपने लेवल पर समीक्षा करने के निर्देश दिए गये । और ये देख लें कि जो प्रकरण एल 4 तक आने चाहिए वही एल 4 तक आएँ । अगली वीडियो कान्फ्रेंसिंग में समस्त संयुक्त संचालकों से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी ।

32. अपर संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा बताया गया कि अभी तक 2.00 लाख बच्चों की प्रविष्टि की गई है । अधिकांश स्कूलों द्वारा प्रविष्टि पूरी नहीं की गई है । अपर संचालक द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय प्रविष्टि का कार्य प्राथमिकता के आधार पर 2-3 दिनों में पूरा कर लें ।
33. स्कूलों को दो तरह की पुस्तकें दी जा रही हैं । केवल 4-5 जिले द्वारा ही पुस्तक वितरण करने संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है, शेष जिलों को पाठ्यपुस्तक निगम से संपर्क में रहकर समय-सीमा में पुस्तकें वितरित करने संबंधी निर्देश दिए गए ।

विधि की समीक्षा-

34. आयुक्त महोदया द्वारा कोर्ट में अवमानना प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं इसके लिए नाराजगी व्यक्त की गई । यह भी कहा कि यूजर आईडी पासवर्ड दिये जाने पर भी जिले में इसको उपयोग में नहीं लिया जा रहा है । सभी जिले यूजर आई.डी., पासवर्ड का उपयोग करें तथा नियमित रूप से विधी प्रकरणों की समीक्षा करें ।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।


संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
19/11/18
62